355

संख्या– /15–XIX–2/48 खाद्य/2015

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड ।

2– सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक,
गढवाल/कुमायूँ सम्भाग,
देहरादून/हल्द्वानी ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनॉक 28 सितम्बर,2015**

विषयः– **राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों को 15 किग्रा0 खाद्यान्न प्रतिकार्ड/प्रतिमाह उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार से Tide Over Allocation के अन्तर्गत तथा राज्य पोषित योजना के अन्तर्गत माह अक्टूबर 2015 से अग्रिम माहों हेतु खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) का मासिक जनपदवार आवंटन।**

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या 420/15–XIX–2/89 खाद्य 2013 टी0सी0 दिनॅाक 23–09–2015 एवं सं0 415/15–XIX–2/89 खाद्य 2013 टी0सी0 दिनॅाक 18–09–2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें। शासनादेश सं0 415, दिनांक 18.09.2015 के संलग्नक–3 में भारत सरकार से उत्तराखण्ड राज्य हेतु Tide Over Allocation के रूप में माह अक्टूबर 2015 से अग्रिम माहों हेतु गेहूँ एवं चावल का मासिक जनपदवार ब्रेकअप जारी करते हुए आवटिंत खाद्यान्न को अग्रिम आदेशो तक भारतीय खाद्य निगम से उठान कर गोदामों में संग्रहित रखने के आदेश निर्गत किये गये है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 420/15–XIX–2/89 खाद्य 2013 टी0सी0 दिनॅाक 23–09–2015 में निर्धारित शर्तों के आलोक में राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) एवं अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों के अतिरिक्त राज्य की अवशेष आबादी को माह अक्टूबर, 2015 से राज्य खाद्य योजना से आच्छादित करते हुए प्रत्येक कार्डधारक को कुल 15 किग्रा0 खाद्यान्न जिसमें 10 किग्रा0 चावल ₹ 9.00 प्रति किग्रा0 एवं 05 किग्रा0 गेहूँ ₹ 5.00 प्रति किग्रा0 प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

3– Tide Over Allocation के अन्तर्गत आवंटित चावल की मात्रा के अतिरिक्त कम पड रही चावल की मात्रा राज्य में कार्यरत चावल मिलर्स से निर्धारित दरों पर राज्य पोषित योजना के रूप में क्रय कर पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी ।

क्रमशः... 2 पर

PS Letter 2014-15

4– Tide Over Allocation के अन्तर्गत आवंटित गेहूँ/चावल की मात्रा एवं राज्य पोषित योजना के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली चावल की मात्रा का जनपदवार संशोधित ब्रेकअप इस पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

5– जिला पूर्ति अधिकारी अपने–अपने जनपदों हेतु आवंटित खाद्यान्न की मात्रा का योजनावार बेस गोदाम/ब्लाक गोदाम एवं आन्तरिक गोदामवार ब्रेकअप तत्काल संभागीय खाद्य नियंत्रको को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे ताकि आवंटित खाद्यान्न का निर्धारित अवधि में उठान कर पर्वतीय जनपदों हेतु प्रेषण सुनिश्चित किया जा सके।

6– संलग्न जनपदवार मासिक आवंटित खाद्यान्न की मात्रा से राज्य खाद्य योजना के प्रत्येक राशनकार्ड धारक को प्रतिमाह 15 किग्रा0 खाद्यान्न निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित उपभोक्ता दरों पर उपलब्ध कराया जायेगाः–

क्र0 सं0	योजना का नाम	खाद्यान्न का नाम	उपलब्ध कराई जाने वाली मात्रा		उपभोक्ताओं हेतु निगर्मन दरें (प्रति किग्रा0)
1	राज्य खाद्य योजना	गेहूँ	5.00 किग्रा0	15.00 किग्रा0 प्रतिकार्ड	रु0 5.00
		चावल	10.00 किग्रा0		रु0 9.00

7– भारत सरकार के आदेश दिनॉक 16.09.2015 के अनुसार माह अक्टूबर 2015 हेतु Tide Over Allocation के अर्न्तगत आवंटित खाद्यान्न के उठान की वैधता तिथि आदेश जारी होने के 30 दिनों अर्थात 16–10–2015 तक सीमित होगी तथा अग्रेत्तर माहों हेतु आवंटित खाद्यान्न का मूल्य जमा करने तथा उसके उठान की वैधता भारत सरकार के पत्र संख्या 1–2/2007 बी0पी0–III दिनॉक 11–07–2014 के अनुसार होगी।

8– Tide Over Allocation के अन्तर्गत आवंटित गेहूँ/चावल का क्रय स्टेट पूल योजना में न होने की दशा में ही भारतीय खाद्य निगम से किया जायेगा। स्टेटपूल योजना में गेहूँ/चावल उपलब्ध होने की स्थिति में समस्त आवंटित चावल की मात्रा का निर्गमन स्टेटपूल योजना के अर्न्तगत संग्रहित गेहूँ/चावल की मात्रा से किया जायेगा। सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढवाल/कुमॉयू सम्भाग आवंटित खाद्यान्न का संचरण मितव्ययता के दृष्टिगत कराना सुनिश्चित करेगें जिससे परिवहन मद में राज्य सरकार को कम से कम व्यय वहन करना पडे ।

क्रमशः... 3 पर

9– राज्य खाद्य योजना के अर्न्तगत आवंटित खाद्यान्न की मात्रा केवल उसी प्रयोजन के लिए निर्गत/वितरित की जायेगी, जिस हेतु भारत सरकार तथा शासन द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। आवटिंत खाद्यान्न की मात्रा का निर्गमन किसी अन्य उद्देश्य एवं योजना हेतु कदापि नहीं किया जायेगा ।

10– राज्य पोषित योजनान्तर्गत आवंटित चावल की मात्रा राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से क्रय की जा रही है तथा इस पर भारत सरकार से किसी प्रकार की सब्सिडी प्राप्त नही की जानी है अतः ऐसी स्थिति में राज्य पोषित योजना के अन्तर्गत क्रय चावल का भौतिक एवं वित्तीय लेखा–जोखा प्रत्येक स्तर पर पृथक–पृथक अनुरक्षित किया जायेगा।

11– राज्य पोषित योजना में क्रय किये जा रहे चावल के संचरण में प्रयुक्त मूवमेन्ट चालान एवं टी0सी0डी0सी0 पर स्पष्ट रूप से **राज्य पोषित चावल** अंकित किया जायेगा ताकि लेखा–जोखा रखने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

12– राज्य पोषित योजना के अन्तर्गत आवटिंत चावल की मात्रा को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA), अन्त्योदय अन्न योजना एवं Tide Over Allocation के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा ताकि भारत सरकार को प्रेषित की जाने वाली सूचनाओं में किसी प्रकार की विसंगति न होने पावे। राज्य पोषित योजना के अर्न्तगत आवंटित चावल के उठान/वितरण की सूचना पृथक से उपलब्ध करायी जायेगी ।

13– जिला पूर्ति अधिकारी अपने जनपदों हेतु संलग्न जनपदवार ब्रैकअप के अनुसार आवंटित खाद्यान्न की मात्रा पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह वितरण करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र नियन्त्रण आदेश, 2001 के अनुसार निर्धारित अवधि तक खाद्यायुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें ।

14– वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा स्टेटपूल योजना से निर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA), अन्त्योदय अन्न योजना एवं Tide Over Allocation के अर्न्तगत आवटिंत खाद्यान्न की मात्रा की धनराशि की प्रतिपूर्ति (Subsidy) का प्रस्ताव भारत सरकार को तथा राज्य पोषित योजना के अर्न्तगत क्रय/वितिरित चावल की मात्रा की धनराशि की प्रतिपूर्ति Subsidy का प्रस्ताव नियमानुसार शासन को समयार्न्तगत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें ।

क्रमशः... 4 पर

15– संभागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा स्टेटपूल योजना के अन्तर्गत संग्रहित खाद्यान्न की मात्रा का ऑफटेक तथा राज्य पोषित योजना के अर्न्तगत चावल के क्रय/वितरण की सूचना पृथक से पाक्षिक/मासिक रूप से प्रत्येक माह की 01 तारीख व 16 तारीख को खाद्यायुक्त कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

16– राज्य पोषित योजना के अन्तर्गत चावल मिलर्स से क्रय किये जाने वाले आवंटित चावल हेतु दरों का निर्धारण पृथक से किया जायेगा। खाद्यायुक्त द्वारा क्रय किये जाने वाले चावल का संभागवार लक्ष्य तथा इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश सम्भागीय खाद्य नियंत्रको को जारी किये जायेगे।

उपरोक्त के सम्बन्ध में निकट भविष्य में यदि अन्य कोई दिशा–निर्देश प्राप्त होते हैं तो तद्नुसार इस शासनादेश में संशोधन किया जायेगा ।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीया,

(राधा रतूडी),
प्रमुख सचिव।

संख्या– 421 (i)/15–XIX–2/48 खाद्य/2015 तद्दिनॉक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव,उपभोक्ता मामले,खाद्यएवम् सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, भारत सरकार को पत्र संख्या–1–8/2013 बी0पी0–III (Vol–II) दिनॉक 16–09–2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ ।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, सहारानपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3– आयुक्त, गढवाल/कुमॉयू मण्डल, पौडी/नैनीताल ।
4– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री, उत्तराखण्ड शासन ।
5– महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य.निगम, उत्तराखण्ड ।
6– वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड को मा0 मन्त्री जी के अवलोकनार्थ ।
7– वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ/गढवाल सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
11– मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
12– उपायुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
13– समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14– सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी(खाद्य), गढवाल/कुमॉयू सम्भाग,देहरादून/हल्द्वानी ।
15– उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/पौडी/हल्द्वानी/उधमसिंह नगर ।
16– समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन ।
17– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राधा रतूडी),
प्रमुख सचिव।

संख्या–425/15–XIX–2/48 खाद्य/2015

शासनादेश संख्या–415/15–XIX–2/89 खाद्य 2013 टी0सी0 दिनॉक 18–09–2015 के संलग्नक 3 के संशोधन उपरान्त राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियो हेतु Tide Over Allocation के अर्न्तगत केन्द्रीय निर्गमन दरों पर तथा राज्य पोषित योजना के अर्न्तगत माह अक्टूबर, 2015 से आगामी माहों के लिए गेहूँ/चावल का मासिक जनपदवार ब्रैकअप।

(मात्रा मी0टन में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	राशनकार्डो की संख्या	गेहूँ का आवंटन भारतीय खाद्य निगम से (@ 610 प्रति कुन्तल)	चावल का आवंटन भारतीय खाद्य निगम से (@ 830 प्रति कुन्तल)	चावल का आवंटन राज्य पोषित योजना से	कुल आवंटन
1.	पौडी गढवाल	78370	391.850	192.947	590.653	1175.450
2.	रूद्रप्रयाग	25222	126.110	62.097	190.123	378.330
3.	टिहरी गढवाल	68479	342.395	168.995	515.810	1027.200
4.	उत्तरकाशी	25271	126.355	62.217	190.993	379.565
5.	हरिद्वार	220015	1100.075	541.677	1658.273	3300.025
6.	देहरादून	207316	1036.580	510.612	1562.648	3109.840
7.	चमोली	41010	205.050	100.967	309.134	615.151
योग–		**665683**	**3328.415**	**1639.512**	**5017.634**	**9985.561**
8.	नैनीताल	122592	612.960	301.822	924.011	1838.794
9.	अल्मोडा	57500	287.500	141.565	433.435	862.501
10.	पिथौरागढ	50289	251.445	123.998	378.857	754.301
11.	उधम सिंहनगर	191736	958.680	472.054	1445.206	2875.941
12.	बागेश्वर	23980	119.900	59.039	180.761	359.701
13.	चम्पावत	22100	110.500	54.410	166.590	331.501
योग–		**468197**	**2340.985**	**1152.888**	**3528.860**	**7022.739**
महायोग–		**1133880**	**5669.400**	**2792.400**	**8546.494**	**17008.300**

(राधा रतूडी),
प्रमुख सचिव।